

कार्यालय आदेश संख्या - 23/17

वमवाप्र/ वाराणसी/ द्वारा जारी एन.आर. संख्या- वा/ विभागीय / अना. अनु. रेफाक बेग/ दीर्घ दिनांक-10.4.17 द्वारा मो. रेफाक बेग वाणिज्य अधीक्षक / गाजीपुर सिटी को तत्काल प्रभाव दिनांक-10.4.17 को रेल सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) दण्ड आरोपित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में मो. रेफाक बेग वाणिज्य अधीक्षक / गाजीपुर सिटी को दिनांक-10.4.17 (तत्काल प्रभाव) रेल सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किया जाता है।

(सत्यनारायण उराँव)
सकाधि
कृते मरेप्र(का.)
वाराणसी
दिनांक-11.4.17

संख्या- का/वा/पीसी/मो. रेफाक बेग
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वमवाप्र/वाराणसी
2. वमविप्र/वाराणसी
3. स्टेडी/मुवानि-गाजीपुर सिटी
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका
5. कार्याधि परिचालन बिल
6. संबंधित कर्मचारी
7. कार्याधि/ समापक
8. मंडल मंत्री नरमू, एससी/एसटी एसोसिएशन/वाराणसी
9. संबंधित विट निरीक्षक

कृते मरेप्र(का.)
वाराणसी